

25.9.24 पणवली पत्र ठीक

पणवली वकील अ.।

पणवली वादते प्राथमिक-पत्र जलवायु को संरक्षित

है। आदि 2.11.24 को पत्र हो।

सहायक कमिश्नर  
SDO सिंगधरी

10.10.2024 वादी वकील द्वारा उपस्थित अंतर प्राथमिक-पत्र पर

पणवली कायम तमाम को गिरी

प्राथमिक-पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया।

वादी एवं उनके वकील द्वारा प्राथमिक-पत्र के तर्कों को  
सिद्ध करने के लिए प्रमाणित किया कि वादप्रकार उन्हीं को लेकर  
पणवली के प्रथम आयु में संरक्षित से स्वीकार्य है  
जुदा है तथा लंबे समय से विधि जैसे स्वीकार्य के अभाव  
पर संरक्षण की आवश्यकता को अंगी नहीं चलाकर वाद अंत

तम पर वादित करवाया जाते हैं।

प्रतिवादी वकील द्वारा भी वादी के प्रमाणों की  
प्रति करते हुए वाद विधि स्वीकार्य विधि विधि जैसे में  
संरक्षित जमान की है।

इसमें उभयपक्ष की संरक्षण पर प्रथम तथा पणवली  
का अवलोकन किया। जुद्धि पणवली के प्रथम आयु में  
अवकाश के प्रमाण अंतर स्वीकार्य है जुदा अंतर के  
वाद की आवश्यकता अंगी नहीं चलाया जाते हैं।

स्वीकार्य

निष्कर्ष वादी द्वारा प्रमाणित स्वीकार्य किया  
पणवली वाद उन्हीं संरक्षण पर विधि स्वीकार्य विधि के  
वादिता किया जाता है।

पणवली प्रथम अंतर अंतर अंतर अंतर  
के अंतर में अंतर है।

सहायक कमिश्नर  
SDO सिंगधरी

